कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/46002/स्थानान्तरण/वो–2 दिनांक 25.09.2021 द्वारा श्रीमती माया देवी मीणा, प्रधानाचार्य नेताजी सुभाष राउमावि मोतीकटला, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि नारायणा जिला जयपुर किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमती माया देवी मीणा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4789/2021 दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.10.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25.09.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्रीमती माया देवी मीणा के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रखते हुए निजी प्रत्यर्थी मंजू गौतम को राउमावि मोतीकटला, जयपुर में ही प्रधानाचार्य के पद पर यथावत पदस्थापित रखे जाने एवं अपीलार्थी का पदस्थापन जिले में ही कोष कार्यालय परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में स्थगन आदेश उसमें बाधक नहीं होने का आदेश प्रदान किया गया है।

माननीय अधिकरण द्वारा निजी प्रत्यर्थी श्रीमती मंजू गौतम को नेताजी सुभाष राउमावि मोतीकटला में ही यथावत पदस्थापित रखे जाने के अन्तरिम निर्णय के अनुसरण में एवं जयपुर ब्लॉक (कोष कार्यालय जयपुर) में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में श्रीमती माया देवी मीणा का जयपुर ब्लॉक में पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है। अतः दोहरे पदस्थापन के निराकरण हेतु जनहित एवं विद्यार्थी हित में अपीलार्थी माया देवी मीणा का समायोजन जयपुर जिले में ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारोदिया, विराटनगर जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। श्रीमती मंजू गौतम माननीय अधिकरण के अन्तरिम निर्णय के अनुसरण में राउमावि मोतीकटला, जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत पदस्थापित रहेंगी। उक्त पदस्थापन/समायोजन माननीय अधिकरण द्वारा अपील में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

श्रीमती माया देवी मीणा का उक्त समायोजन पर योगकाल एवं यात्रा भत्ता नियमानुसार देय होगा।

(काना राम)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/माया देवी/4789/2021/289 **दिनांकः** 08.12.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned with CamScanner